राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F( )/NHM/RCH/JSY/DBT/2015/291 दिनांकः– 12/12/15

संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिले
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले

विषय :- ओजस भुगतान में लाभार्थी के बैंक खाते से संबधित के क्रम में।
संदर्भ :– पत्र क्रमांक NHM/RCH/JSY/DBT/2015/208 दिनांक 29.9.2015 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 1 अगस्त 2015 से जेएसवाई एवं शुभलक्ष्मी योजना के लाभ का भुगतान सीएचसी एवं उच्चतर संस्थानों पर लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में जमा करवाया जा रहा है परन्तु कई प्रसूताओं के पहचान सबंधी दस्तावेज अथवा अन्य परिस्थितिजन्य कारणों से बैंक खाता नही होने के कारण **पत्र क्रमांक** NHM/RCH/JSY/DBT/2015/208 **दिनांक 29.9.2015** द्वारा निर्देशित किया गया था कि विशेष प्रकरणों में सिमित समयावधि के लिये प्रसूता से संबधित परिजन के बैंक खाते में प्रसूता की लिखित सहमति प्राप्त कर राशि हस्तान्तरित कर दी जावे ताकि सभी लाभार्थियों को जेएसवाई एवं शुभलक्ष्मी योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जेएसवाई एवं शुभलक्ष्मी योजना के लाभ का भुगतान केवल प्रसूता के बैंक खाते में अथवा उसके नाम के साथ संयुक्त बैंक खाते में ही किया जायेगा। पूर्व में जारी पत्र क्रमांक NHM/RCH/JSY/DBT/2015/208 **दिनांक 29.9.2015** को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

12/12/15

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निज़ी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, विशष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. अधीक्षक, समस्त मेडिकल कॉलेज को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित चिकित्सा संस्थानों पर पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावे।
4. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य।
5. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय।
6. सर्वर प्रभारी।
7. रक्षित पत्रावली।

12/12/15

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर